

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

सैन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 319/2025

अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

मघाराम बनाम सिदु व अन्य

प्रार्थी वकील – श्री हुकमसिंह गोदारा
विप्रार्थीगण – एकतरफा

--: निर्णय :-

दिनांक – 19.03.2026

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा बीजराड़ में खसरा सं. 1642/949, 237 रकबा 10.7241, 0.0567 हैक्टर, पटवार क्षेत्र बीजराड़, तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी वकील की एकतरफा सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा बीजराड़ में खसरा सं. 1642/949, 237 रकबा 10.7241, 0.0567 हैक्टर, पटवार क्षेत्र बीजराड़, तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि दोनों पक्षों के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

B K/c